भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 4100

सोमवार, 28 मार्च, 2022/7 चैत्र, 1944 (शक)

केन्द्रीय करों में तेलंगाना की हिस्सेदारी

4100. श्री नंदीगम सुरेश
श्री कुरुवा गोरांतला माधव
श्री एन. रेड्डप्प

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014-17 के दौरान तेलंगाना डिस्कॉम्स को की गई विद्युत आपूर्ति के लिए एपीजीईएनसीओ की बकाया राशि का निपटान करने हेतु केंद्रीय करों में तेलंगाना के हिस्से में कटौती करने संबंधी प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने तेलंगाना सरकार द्वारा 6,111.88 करोड़ रुपए की विद्युत बकाया राशि का भुगतान न करने का मामला उठाया था। विद्युत मंत्रालय में आंध्र प्रदेश सरकार तथा तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 08.11.2021 को हुई बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदु उजागर हुए हैं:

i. यह द्विविभाजन पश्चात की एक घटना है।
ii. विद्युत आपूर्ति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच हुए करार के अनुसार होती है।
iii. प्रारंभ में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ली गई बिजली के लिए आंध्र प्रदेश को भुगतान कर रहा था।
iv. आंध्र प्रदेश द्वारा तेलंगाना को आपूर्ति की गई विद्युत के लिए संदत्त की जाने वाली मूल राशि के संबंध में कोई मतभेद नहीं है। हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा मूल राशि पर संदत्त किए जाने वाले ब्याज पर कुछ समायोजन करने की आवश्यकता थी। दोनों राज्य विद्युत क्रय करार के निबंधन-शर्तों के अनुसार आंकड़ों को समायोजित करने के लिए सहमत थे।
v. चूंकि, तेलंगाना से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, अत: आंध्र प्रदेश ने माननीय उच्च न्यायालय तेलंगाना में याचिका दायर की है।

इसके अलावा, सचिव, वित्त मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2022 को उक्त समिति की बैठक में इस मामले पर चर्चा भी की गई थी जिसमें आंध्र प्रदेश के मंत्री के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से अधिकारी भी शामिल हुए थे और इसमें संभावित विकल्पों को नोट किया गया था।

*****